दिनांक– 15.12.2012 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे मोतीझील स्थित नगर निगम सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	**महापौर/अध्यक्ष**	श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य
श्री मदन लाल	पार्षद/सदस्य	श्रीमती गीता देवी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती लाली गुप्ता	पार्षद/सदस्य	श्रीमती पुष्पा देवी	पार्षद/सदस्य
श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि	पार्षद/सदस्य	श्री बाबूराम सोनकर	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रीना	पार्षद/सदस्य	श्री संजय लाल बाथम	पार्षद/सदस्य
श्री बीरबल	पार्षद/सदस्य	श्री योगेन्द्र कुमार	पार्षद/सदस्य
श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद/सदस्य
श्रीमती बीना	पार्षद/सदस्य	श्रीमती शशि सुरेन्द्र जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू''	पार्षद/सदस्य	श्रीमती जोहरा खातून	पार्षद/सदस्य
श्री संजीत सिंह कुशवाहा	पार्षद/सदस्य	श्री राजेन्द्र प्रसाद कटियार	पार्षद/सदस्य
श्री अतुल त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	श्री आदित्य शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्री गौरव जैन	पार्षद/सदस्य	श्रीमती राम जानकी यादव	पार्षद/सदस्य
सुश्री लक्ष्मी कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्री शाइमा	पार्षद/सदस्य
श्री सुमित कुमार सरोज	पार्षद/सदस्य	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
सुश्री नमिता कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्रीमती उत्तम	पार्षद/सदस्य

श्री राजकुमार पाल	पार्षद/सदस्य	श्री आलोक दुबे	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रश्मि शाह	पार्षद/सदस्य	श्रीमती सोनी पाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती मीनू गुप्ता	पार्षद/सदस्य	श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद/सदस्य
श्री चेतन सिंह	पार्षद/सदस्य	श्रीमती मधु	पार्षद/सदस्य
श्री आबिद अली	पार्षद/सदस्य	श्री गीता जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद/सदस्य	डॉ0 आलोक शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्री सलीम बेग	पार्षद/सदस्य	श्री राम औतार प्रजापति	पार्षद/सदस्य
श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	श्रीमती सन्नों कुशवाहा	पार्षद/सदस्य
श्री संजय यादव	पार्षद/सदस्य	डॉ0 नीना अवस्थी	पार्षद/सदस्य
श्री अशोक चन्द्र तिवारी	पार्षद/सदस्य	श्री सुरजीत सचान	पार्षद/सदस्य
श्रीमती पूनम राजपूत	पार्षद/सदस्य	श्री राजेश कुमार सिंह	पार्षद/सदस्य
श्री राज किशोर	पार्षद/सदस्य	श्रीमती सरोजनी यादव	पार्षद/सदस्य
श्री कौशल कुमार मिश्रा	पार्षद/सदस्य	श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
श्री विप्लव भट्टाचार्य	पार्षद/सदस्य	श्री विनय अग्रवाल	पार्षद/सदस्य
श्री लक्ष्मी शंकर राजपूत	पार्षद/सदस्य	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्री कमल शुक्ल ''बेबी''	पार्षद/सदस्य	श्री मो0 शमीम आजाद	पार्षद/सदस्य
श्री अब्दुल कलाम	पार्षद/सदस्य	श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा ''योगी''	पार्षद/सदस्य

श्री आदर्श	पार्षद/सदस्य	श्रीमती जरीना खातून	पार्षद/सदस्य
श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	श्री कमलेश	पार्षद/सदस्य
श्री मनोज यादव	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रानू बाजपेई	पार्षद/सदस्य
श्री राकेश साहू	पार्षद/सदस्य	श्री सत्येन्द्र मिश्रा	पार्षद/सदस्य
श्री नवीन पण्डित	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रीता शास्त्री	पार्षद/सदस्य
श्री मनीष शर्मा	पार्षद/सदस्य	श्रीमती राज किशोरी पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्री धर्मनाथ मिश्रा	पार्षद/सदस्य	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पार्षद/सदस्य
श्रीमती नीलम चौरसिया	पार्षद/सदस्य	श्रीमती प्रवेश कुमारी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद/सदस्य	श्री अब्दुल जब्बार	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद/सदस्य	श्रीमती जानकी वर्मा	पार्षद/सदस्य
श्री संदीप जायसवाल	पार्षद/सदस्य	श्री मो0 आरिफ	पार्षद/सदस्य
श्री जितेन्द्र कुमार सचान	पार्षद/सदस्य	श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू'	पार्षद/सदस्य
श्रीमती आशा सिंह	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रेनू सब्बरवाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती परमजीत कौर	पार्षद/सदस्य	श्री आमोद	पार्षद/सदस्य
श्री पंकज सचान	पार्षद/सदस्य	श्री अशोक कुमार दीक्षित	पार्षद/सदस्य
श्री सारिया	पार्षद/सदस्य	श्री मन्नू रहमान	पार्षद/सदस्य
श्री सुशील तिवारी	पार्षद/सदस्य	श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद/सदस्य

श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद/सदस्य
श्री मो0 इरफान खान	पार्षद/सदस्य
श्री रमापति झुनझुनवाला	पार्षद/सदस्य
श्री मो0 वसी	पार्षद/सदस्य

<u>पदेन सदस्य</u>

श्री सतीश निगम	विधायक
श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	विधायक
श्री इरफान सोलंकी	विधायक
श्री सलिल विश्नोई	विधायक

<u>अधिकारी गण</u>

श्री एन0 के0 सिंह चौहान	नगर आयुक्त
श्री उमाकान्त त्रिपाठी	अपर नगर आयुक्त
श्री उदय नारायण तिवारी	अपर नगर आयुक्त
श्री डी0 के0 गुप्ता	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
डॉ0 एल0के0तिवारी	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
डॉ0 यू0 पी0 अग्रवाल	नगर स्वास्थ्य अधिकारी चि0
श्री जे0 एन0 श्रीवास्तव	मुख्य अभियंता
श्री आर0एम0अस्थाना	मुख्य अभियंता वि0/यॉ0
श्री जवाहर राम	महाप्रबंधक, जलकल विभाग
श्री अम्बरीश यादव	सहायक निदेशक सी0सी0
श्री के0 एस0 अवस्थी	उप नगर आयुक्त
श्री बी0 के0 द्विवेदी	उप नगर आयुक्त
श्री मनोज श्रीवास्तव	उप नगर आयुक्त
श्री विनय कुमार राय	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

राष्ट्रगीत के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई ।

पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय इन्द्र कुमार गुजराल जी के निधन दिनांक– 30 नवम्बर, 2012 एवं भारत रत्न से विभूषित प्रसिद्ध सितार वादक पं0 रविशंकर के निधन दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया ।

शोक–संदेश

अत्यन्त दुखः का विषय है कि दिनांक 30 नवम्बर, 2012 दिन शुक्रवार को पूर्व प्रधान मंत्री, श्री इन्द्र कुमार गुजराल जी का आकस्मिक निधन हो गया है।

अतः इस दुखः की घड़ी में कानपुर नगर निगम की ओर से मैं और सभी पार्षदगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण हार्दिक संवेदना व्यक्त करते है तथा ईश्वर से प्रार्थना करते है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करते हुये शोक–संतप्त परिवार को इस दुखः को सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

शोक–संदेश

अत्यन्त दुखः का विषय है कि दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 दिन बुद्धवार को ''भारत रत्न'' से विभूषित प्रसिद्ध सितारवादक, पं0 रवि शंकर जी का आकस्मिक निधन हो गया है।

अतः इस दुखः की घड़ी में कानपुर नगर निगम की ओर से मैं और सभी पार्षदगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण हार्दिक संवेदना व्यक्त करते है तथा ईश्वर से प्रार्थना करते है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करते हुये शोक–संतप्त परिवार को इस दुखः को सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

तत्पश्चात् अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यवाही 11:15 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई।

.....

11:15 बजे अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने हेतु निर्देश दिये ।

नगर आयुक्त द्वारा प्रस्ताव संख्या–1 जो निम्नवत् है, प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष ने मा0 विधायक श्री सलिल विश्नोई को सदन में अपने विचार रखने हेतु कहा।

मा0 विधायक श्री सलिल विश्नोई ने पार्किंग के सम्बन्ध में विचार रखे व कहा कि नरोना चौराहे के पास बनी पार्किंग के लिये स्थल छोटा है। स्थान ऐसा हो जो पार्किंग के लिये उपयुक्त हो जैसे फूलबाग व परेड ग्राउण्ड पार्किंग के लिये उपयुक्त है। मा0 विधायक जी ने 74वॉ संशोधन लागू किये जाने के लिये प्रयास किये जाने हेतु विचार रखे साथ ही कहा कि मा0 पार्षदों के लिये जो भत्ता रू0 300 लागू किया गया है, उसको सभी पार्षदों को स्वीकार करना चाहिए, इसको हीन भावना से न लिया जाये। विधायक गण के लिये जब भत्ता प्रारम्भ हुआ था तो रू0 250 रखा गया था। नगर निगम द्वारा आवासीय भवनों पर जो हाउस टैक्स लगाया जा रहा है, उसका सही मूल्यांकन कर टैक्स लगाया जाये साथ ही कानपुर के जो बड़े–बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनके ऊपर सही मूल्यांकन कर व्यवसायिक हाउस टैक्स का निर्धारण किया जाये। शहर में जो विकास कार्य प्रारम्भ हुये है और उसमें अच्छी गुणवत्ता दिख रही है, उसके लिये नगर आयुक्त बधाई के पात्र है। शहर के विकास के लिये सभी विभागो की एक समन्वय

समिति गठित की जाये और समन्वय समिति का नोडल अधिकारी नगर आयुक्त को बनाया जाये, जिससे सभी विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने में किसी प्रकार की असुविधा न हो ताकि जो कार्य प्रारम्भ कराया जाये वह सुचारू रूप से हो सकें।

अध्यक्ष ने कहा कि मा0 विधायक जी के अच्छे सुझाव है इनकों गम्भीरता से लिया जाये। तत्पश्चात् मा0 विधायक श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया को सदन में अपने विचार रखने हेतु कहा।

मा0 विधायक श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया ने अपने विचार रखते हुये अवगत कराया कि नगर निगम के अधिकारी कोई बात सुनने के लिये तैयार नही होते है, अपनी मनमानी कर रहे है। इनके ऊपर नियंत्रण किया जाये। नगर निगम द्वारा सिविल कार्य के जो टेण्डर कराये जा रहे है, उनमें ठेकेदार 20–25 प्रतिशत निम्न पर टेण्डर डाल रहे है तो ऐसे में जो कार्य कराये जायेगे उन कार्यो में मानक के अनुसार क्या गुणवत्ता रहेगी। जो कार्य 20–25 प्रतिशत निम्न पर हुए है उन कार्यो की जॉच होनी चाहिये और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये और जो ठेकेदार 20–25 प्रतिशत निम्न पर टेण्डर डाल रहे है, उन पर कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को इस पर विचार रखने के लिये निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने सदन को अवगत कराया कि नगर निगम ही नहीं बल्कि लोक निर्माण विभाग व अन्य कार्यदायी संस्था में भी बिलो रेट के टेण्डर डाले जाते हैं और नियमों के अन्तर्गत टेण्डरदाता को ही कार्य दिये जाने का प्राविधान है, परन्तु कार्य की गणुवत्ता पर नगर निगम का प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। गुणवत्ता से कोई समझौता नही किया जाता है। अवगत कराया गया कि मा0 विधायक जी के सुझाव पर उनके अनुरोध से शासन को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि नगर निगम अधिनियम–1959 के पेज नं0–314 पर धारा–4(क) में न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण में नगर आयुक्त को वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में न्यूनतम किराये की दर बढ़ाये जाने का प्राविधान है, जबकि पूर्व में नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत किराया एवं समस्त कर बढ़ाये जाने का अधिकार कार्यकारिणी सभापति एवं नगर निगम सदन में निहित था। इस धारा को संशोधित किये जाने हेतु सदन में एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करते हुये नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–4(क) में संशोधन करने हेतु शासन को भेजा जाये और जब तक भेजे गये प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश शासन का निर्णय प्राप्त न हो जाये तब तक 10 से 15 प्रतिशत तक किराये की बढ़ोत्तरी लागू किये जाने हेतु कार्यवाही न की जाये । ।

अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम अधिनियम में इस संशोधन हेतु उक्त प्रस्ताव को सदन में पारित कर शासन को भेजा जाये।

श्री नवीन पण्डित ने हाउस टैक्स की बढ़ोत्तरी पर विरोध प्रकट किया जिसका कुछ पार्षदों ने समर्थन किया।

श्री अशोक तिवारी ने कहा कि नगर निगम अधिनियम की धारा–207 में कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना व नगर आयुक्त द्वारा समय–समय पर नियमावली में विहित रीति के अनुसार नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दर और निर्धारण सूची तैयार करायेगा किन्तु उनको लागू नही कर सकते हैं नगर निगम द्वारा जो एजेण्डा जारी किया गया है वह पार्षदों का अलग है और अधिकारियों का अलग है। यदि हाउस टैक्स बढ़ाने का कोई शासनादेश है तो उसकी प्रति पार्षदों को भी उपलब्ध कराई जाये।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने सदन में उपस्थित अध्यक्ष, नगर आयुक्त, पार्षद एवं मीडिया का स्वागत करते हुये कहा कि पिछले एक माह से हाउस टैक्स बढ़ाने की जो भ्रांतियॉ फैलाई जा रही है उनकों बन्द किया जाये। क्योंकि सबसे पहले सरलकर फिर जी0आई0एस0 में जो कमियॉ रही है सबसे पहले उनकों सही किया जाये । आप तो सरकार के अधिकारी है और हम जनता के नूमाइंदे है । 10–15 प्रतिशत जो टैक्स बढ़ाया जा रहा

है हम उसका विरोध करते रहेंगे। पहले जी0आई0एस0 सर्वे द्वारा की गई विसंगतियों को दूर किया जाये। मा0 नगर विकास मंत्री जी ने न तो कोई शासनादेश जारी किया है और न तो सरकार द्वारा हाउस टैक्स बढ़ाने जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया गया है और यदि शासनादेश जारी किया गया है तो उसको सदन में रखा जाये। श्री शुक्ल ने यह भी कहा कि गम्भीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों के लिये 50 हजार रूपया पास करने का अधिकार नगर आयुक्त को है किन्तु 25 लाख रूपये के जो कार्य पार्षदों को आवंटित किये गये है वह क्या कार्यकारिणी/सदन से पास कराये गये है।

श्री अशोक तिवारी ने नगर निगम अधिनियम की धारा–173 का उल्लेख करते हुये कहा कि यह अधिकार नगर निगम सदन में निहित है इस पर अध्यक्ष ने हाउस टैक्स बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय नारायण तिवारी अपर नगर आयुक्त से नियमानुसार स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा।

श्री उदय नारायण तिवारी अपर नगर आयुक्त ने नगर निगम अधिनियम की धारा– 172, 173 एवं 174 का उल्लेख किया एवं कहा नगर निगम अधिनियम की धारा–172 में उन करों का वर्णन है जो इस अधिनियम के अधीन नगर निगम द्वारा आरोपित किये जायेंगे। धारा–173 में सम्पत्तिकर के अन्तर्गत लगाये जाने वाले करों का वर्णन है। कानपुर नगर निगम में इस धारा के अन्तर्गत मा0 सदन के निर्णयान्तर्गत ही सामान्य कर आरोपित है। चूँकि यह कर पहले से ही आरोपित है। अतः वर्तमान में इस पर विचार करना सामयिक नही है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–207 एवं उत्तर प्रदेश (सम्पत्तिकर) नियमावली–2000 (यथा संशोधित) के नियम–4(क) में नगर आयुक्त को प्रति इकाई क्षेत्रफल वर्ग फुट लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर नियत करने का अधिकार प्राप्त है।

सदस्यों ने श्री उदय नारायण तिवारी, अपर नगर आयुक्त से पूछा कि हाउस टैक्स बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है, उसका शासनादेश पढ़ कर सुनाया जाये। इस पर अध्यक्ष ने नगर आयुक्त से सदस्यों को अवगत कराने हेतु कहा ।

नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 मंत्री जी नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक– 24.05.2012 को आहूत समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव द्वारा कर्मचारियों के बढ़े हुये वेतन भुगतान में निकाय की स्थिति लचर न हो इसके लिये निकाय के आय के श्रोतो को बढ़ाने पर बल देने एवं इस हेतु गृहकर की दरों का पुनरीक्षण कर बढ़ाये जाने एवं नये शामिल क्षेत्रों को मिलाकर कराच्छादन से वंचित सम्पत्तियों को कराच्छादन की परिधि में सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये है। समस्त कर निर्धारण अधिकारी/कर अधीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई भी सम्पत्ति कर आच्छादन से वंचित रहती है तो वह इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहॉ तक न्यूनतम प्रति वर्ग फिट मासिक किराया दर के पुनरीक्षित किये जाने का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 एवं उत्तर प्रदेश (सम्पत्तिकर) नियमावली–2000 (यथा संशोधित) की व्यवस्था अनुसार यह अधिकार नगर आयुक्त में निहित है।

नगर आयुक्त द्वारा कार्यसूची के अनुसार मा0 सदन को नवीनतम शासनादेशों/पत्रों से निम्नवत्– संख्या–1206/79–6–20 लखनऊः दिनांक– 08 नवम्बर, 2012, संख्या– 405/पीएसबी/2012.12.17, दिनांक– 09 नवम्बर, 2012 एवं संख्या– 1275/9–9–12–205ज/12 लखनऊ : दिनांक– 10 सितम्बर, 2012 अवगत कराया गया।

प्रस्ताव संख्या–01

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 01 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/149/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 14.09.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनाथ/स्वीकृतार्थ प्रेषित।

कानपुर नगर में वाहनों की बढ़ती संख्या एवं बाजार के व्यवसायीकरण के फलस्वरूप नगर में सुव्यवस्थित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन के समक्ष दिनांक 11.07.2012 को कानपुर के समग्र विकास से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया। इसी क्रम में जोन–1 के अर्न्तगत नरौना चौराहा के पास स्थित पनचक्की चौराहे पर पूर्व में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित टैक्सी पार्किग स्थल को मल्टीलेविल पार्किग स्थल में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। यह कार्य हो जाने से इस क्षेत्र के आसपास स्थित बिरहाना रोड, माल रोड, सागर मार्केट एवं रामनारायण बाजार आदि क्षेत्रो में सड़क के किनारे व मध्य पार्किंग होने से लगने वाले जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी, साथ ही फूलबाग में समय समय पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों/प्रदर्शनी हेतु भी पार्किग स्थल उपलब्ध हो जायेगा।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–02

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 02 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः 1477/3/प/न0आ0 दिनांक 18.09.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ/ स्वीकृतार्थ प्रेषित।

नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्यकर (गृहकर) की दरें विगत वर्षो की भॉति वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु निम्नवत् प्रस्तावित हैः–

1. रू0 1,200.00 वार्षिक मूल्यांकन तक की सम्पत्तियों पर सामान्यकर (गृहकर), वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत होगा।
2. रू0 1,200.00 वार्षिक मूल्यांकन से अधिक की सम्पत्तियों पर सामान्यकर (गृहकर), वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत होगा।
3. नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूखण्डों पर आरोपित एवं देय सामान्यकर (गृहकर) का समस्त गृहस्वामियों/अध्यासियों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए एवं नगर निगम के निरन्तर चल रहे वसूली अभियान में गति लाने तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. द्वारा सम्पत्ति कर(गृहकर) में ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 02.04.2012 को तत्कालीन मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त द्वारा ऐसे करदाता जिन पर सामान्यकर (गृहकर) के मद मे कोई बकाया अवशेष न हो, उनको वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 की चालू मॉग पर 30, नवम्बर 2012 तक प्रथम चरण में अप्रैल 12 से जून 12 तक एवं तद्पोरान्त प्रतिमाह एक–एक माह के लिए छूट का समय बढाये जाने हेतु दिनांक 31.08.2012 को मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

अध्यक्ष ने श्री अशोक तिवारी एवं श्रीमती नीलम चौरसिया से भी उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार रखने हेतु कहा।

श्री अशोक तिवारी एवं श्रीमती नीलम चौरसिया ने कहा कि 31 मार्च, 2013 तक गृहकर में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो 31 मार्च, 2013 तक गृहकर में 10 प्रतिशत की छूट बढ़ा दी जाये। नगर निगम सदन गरिमापूर्ण हो, जो नियम है उनकों लागू होना चाहिये। तत्पश्चात अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को बोलने हेतु कहा।

नगर आयुक्त ने कहा कि सामान्य कर में 10 प्रतिशत की छूट व गड़बड़ बिलों में संशोधन किये जाने की तिथि 30 नवम्बर, 2012 तक प्रदान की गई थी। सदस्यों द्वारा यह कहा जा रहा है कि जी0आई0सर्वे की आपत्तियों के निस्तारण हेतु और समय दिया जाये, आपके निर्णय पर 25 सितम्बर तक का समय दिया गया था, आपत्तियॉ बहुत हैं उसके लिये दो माह का समय बढ़ाया गया था, जिसके लिये अधिकारियों को अधिकार का प्रतिनिधायन किया गया था। जोनल कार्यालयों में 3604 आपत्तियॉ प्राप्त हुई थी, जिनमें से 1904 आपत्त्यिों का निस्तारण किया जा चुका है, शेष 1700 अनिस्तारित है, विलम्ब इसलिये हुआ कि अनेक कर अधीक्षकों एवं कर निरीक्षकों के स्थानान्तरण हो गये हैं, जिसकी वजह से व्यवस्था में व्यवधान हुआ है। मेरे द्वारा निर्देश दिये गये है कि जोनल कार्यालयों में कैम्प लगाकर आपत्तियों का निस्तारण किया जाये। स्वकर प्रणाली में आप स्वयं देख कर अपने भवन का करारोपण कर सकते है । उसके उपरान्त भी जिन भवनों में आपत्तियॉ आती है उनका स्वयं निरीक्षण कर लें जिससे उनका निस्तारण किया जा सकें। यदि किसी अधिकारी द्वारा गलत ढंग से कार्यवाही की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। जी0आई0एस0 सर्वे में कर नही बढ़ाया गया है सम्पत्तियों का चिन्हांकन किया गया है, यदि सभी भवन स्वामियों द्वारा कर जमा कर दिया जाये तो विकास को गति मिलेगी और शहर का विकास अच्छा होगा। शहर का विकास अच्छा हो जाने के बाद यदि कर घटाने की बात कहेंगे तो कर घटाया भी जा सकता है। पार्षद अपने क्षेत्र के कर दाताओं को जागरूक करें कि हाउस टैक्स जमा करें जिससे विकास हो सके। सदन से पुनः अनुरोध है कि आप लोग हाउस टैक्स बढ़ाने के लिये निर्णय लें। 25 सितम्बर तक जो आपत्तियॉ आई है उनका निस्तारण हो रहा है और जो आपत्तियॉ आ रही है उनका भी निस्तारण होगा। अब पुनः छूट बढ़ाने की बात न कही जाये जो छूट 30 नवम्बर तक दी जा चुकी है उसे अब बढ़ाना उचित नही है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–03

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 03 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के कार्यालय पत्र संख्या डी/10/मु0क0नि0अ0 दिनांक 18.09.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित।

नगर निगम, कानपुर द्वारा नामान्तरण शुल्क, शमन शुल्क एवं उनके प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन शुल्क पुरानी दरों से लिये जा रहे है, जो काफी पुराने है और नगर निगम को काफी आर्थिक क्षति हो रही है। वर्तमान समय में उन सभी की दरो को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, जो निम्नवत् हैः

क्र. सं.	वार्षिक मूल्यांकन	वर्तमान निर्धारित	क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित नामान्तरण शुल्क

		नामान्तरण शुल्क			
1.	रू0 1 से 2000 तक	200	1.	भूखण्ड/भवन में पंजीकृत विलेख/वैनामा रू.01 से रू0 2,00,000/– तक	विक्रय मूल्य(जिस पर स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया हो) का 0.3 प्रतिशत
2.	रू0 2001 से 5000 तक	300	2.	भूखण्ड/भवन में पंजीकृत विलेख/वैनामा रू.2,00,000/– से ऊपर	विक्रय मूल्य (जिस पर स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया हो) का 0.5 प्रतिशत
3.	रू0 5001 से 10000 तक	400			
4.	रू0 10000 से अधिक	500			

विरासत/वसीयत/हिबा/उत्तराधिकारी के आधार पर होने वाले नामान्तरण पर नामान्तरण शुल्क निम्नवत् प्रस्तावित हैः–

क्रमांक	सम्पत्ति की श्रेणी	100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाले भवन/भूखण्ड	100 वर्ग मीटर से अधिक तथा 300 वर्ग मीटर से अनाधिक क्षेत्रफल वाले भवन/भूखण्ड	300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवन/भूखण्ड
1.	आवासीय	रू0 500.00	रू0 1000.00	रू0 3000.00
2.	मिश्रित	रू0 750.00	रू 2000.00	रू0 4000.00
3.	अनावासीय	रू0 1000.00	रू0 3000.00	रू0 5000.00

शमन शुल्क :– शमन शुल्क के सम्बन्ध में भवन स्वामी/अध्यासियों के द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण कराने के पश्चात भी वर्षानुवर्ष नगर निगम में नामान्तरण नही कराया जाता है और न ही कोई सूचना दी जाती है। इसके कारण सम्पत्तियां कराधान से वचिंत रहती है और हस्तान्तरण में विलम्ब होने से नगर निगम को आर्थिक क्षति होती है। शमन शुल्क निम्नलिखित प्रस्तावित किया जाता हैः–

क्र. सं.	वर्तमान वार्षिक मूल्याकंन	वर्तमान निर्धारित शमन शुल्क
1.	रू0 1 से 2000 तक	250
2.	रू0 2001 से 5000 तक	400
3.	रू0 5001 से 10,000 तक	500
4.	रू0 10,000 से अधिक	700

क्र0 सं0 **प्रस्तावित शमन शुल्क**

1. **सम्पत्ति** के हस्तान्तरण के 06 माह तक कोई शमन शुल्क देय नही होगा।
2. **सम्पत्ति** के हस्तान्तरण के 06 माह के पश्चात एंव 03 वर्ष की अवधि के अन्दर नामान्तरण पर वर्तमान प्रस्तावित व्यवस्था के अर्न्तगत निर्धारित नामान्तरण शुल्क का 50 प्रति0 शमन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
3. **सम्पत्ति** के हस्तान्तरण के 03 वर्ष के पश्चात कभी भी नामान्तरण हेतु आवेदन किये जाने पर वर्तमान प्रस्तावित व्यवस्था के अर्न्तगत निर्धारित नामान्तरण शुल्क के समकक्ष

			शत्–प्रतिशत धनराशि के रूप में शमन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

<u>प्रकाशन शुल्कः–</u> नामान्तरण प्रक्रिया में समाचार पत्रों में प्रकाशन के मद में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में प्रस्तावित, प्रस्ताव निम्नवत् हैः–

वर्तमान में प्रभावी प्रकाशन शुल्क	प्रस्तावित प्रकाशन शुल्क
रू0 250.00	रू0 500.00

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सभी सदस्यों ने कहा कि रू0 2,00,000.00 (रूपया दो लाख) से ऊपर के बैनामा पर विक्रय मूल्य का रू0 0.50 प्रतिशत जो नामान्तरण शुल्क प्रस्तावित किया गया है, उसे कम किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि शासन स्तर से प्रायः निर्देश प्राप्त होते रहते है कि निकाय अपनी आय के श्रोतो में स्वयं वृद्धि करें और नागरिकों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायें । कर्मचारियों द्वारा लगातार अपने देयकों के भुगतान हेतु दबाव बनाया जा रहा है उनके छठवें वेतन आयोग का बकाया व अन्य में लगभग रू0 34.00 करोड़ (रूपया चौतीस करोड़) की देनदारी है। कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य भी कराये जाने है, इसके लिये धन की नितान्त आवश्यकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में नामान्तरण शुल्क आदि, जिसमें वर्ष–1962 से कोई वृद्धि नही हुई है, में वृद्धि प्रस्तावित की जा रही है जबकि वेतन व पेंशन तथा अन्य खर्चो में निरन्तर वृद्धि हो रही है। लखनऊ नगर निगम में ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है। अतएव कार्यकारिणी समिति से अनुरोध है कि प्रस्ताव अनुमोदित कर सदन को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

सभापति ने भी शहर के समग्र विकास हेतु प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेगे और कालान्तर में इसका प्रभाव दिखेगा। उदाहरण देना चाहता हूॅ कि पूर्व में इन्टरमीडिएट के अध्यापक को मात्र 150 रूपये और डिग्री कालेज के अध्यापकों को रू0 250 प्रतिमाह वेतन मिलता था, वर्तमान में डिग्री कालेज के अध्यापक को लगभग रू0 1,00,000 प्रतिमाह वेतन मिल रहा है। अतः समय के साथ आगे बढ़ना होगा।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि रजिस्ट्री आफिस में यदि किसी अधिकारी को नामित कर दिया जाये तो हुई रजिस्ट्रियों के हिसाब से सम्बन्धित को नोटिस भेज कर नामान्तरण हेतु कार्यवाही कराई जाये, इससे नगर निगम की आय में शीघ्र वृद्धि हो सकेगी।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि इसके लिये जोनल अधिकारी जोन–1 को पूर्व से ही नामित कर दिया गया है।

नगर आयुक्त ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करने हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस प्रस्ताव पर सदन को कोई आपत्ति तो नही है ।

श्री शमीम आजाद ने कहा कि शमन शुल्क व नामान्तरण शुल्क 0.3 प्रतिशत ज्यादा है इसको कम कर दिया जाये । मैं इसका विरोध करता हूॅ।

श्री मनोज यादव ने कहा कि कहा कि जहॉ जैसा विकास हो वहॉ वैसा टैक्स लगाया जाये।

श्री बाबूराम सोनकर ने कहा कि सन् 1958 से लेकर आज तक हमारे वार्ड में कोई विकास नही हुआ है, टैक्स की वसूलयाबी की जा रही है, कोई शौचालय आदि कही नही बने है, मार्गप्रकाश की व्यवस्था नही है, खड़न्जा तक नही बने है तब भी टैक्स पॉश इलाकों के समान लगाया गया है।

मा0 विधायक श्री सतीश निगम ने कहा कि शहर का विकास हुआ है और गॉव तक विकास पहुॅच रहा है। बहुत प्रापर्टी अभी ऐसी है जो कराच्छादित नही है, उन पर कररोपण की कार्यवाही की जाये, नागरिकों द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, उनको उसकी सुविधा भी दी जाये । जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की प्रथम चरण की जो योजना है वह अभी भी पूरी नही हुई है और धीमी गति से चल रही है। इस योजना को पूर्ण कराया जाये जिससे नागरिकों को समय से पानी की सुविधा मिल सके जबकि अन्य प्रदेशों में 05वें व 06वें चरण की योजना चल रही है। पेयजल हेतु सभी

पार्षदों को कम से कम 05–05 हैण्डपम्प दिये जाये । इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष महोदय निर्णय लें। सोसाइटी के क्षेत्रों में जब विकास कार्य नही किया जा रहा है तो टैक्स की वसूलयाबी क्यों की जा रही है । मा0 अध्यक्ष महोदय सोसाइटी के क्षेत्रों में विकास के लिये भी निर्णय लें। मार्गप्रकाश के अभाव में क्राइम ज्यादा होता है जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है और यह सार्थक प्रयास हुआ है कि सोडियम लाइट की जगह सी0एफ0एल0 लगाई जा रही है, यह अच्छी बात है। पार्षदों को कम से कम 25–25 सी0एफ0एल0 लाइटें दी जाये तथा टूटी सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराई जाये। सोसाइटी क्षेत्र के विषय में कोई निर्णय हो जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। मा0 विधायक द्वारा यह भी कहा गया कि नगर निगम द्वारा जो टैक्स की दरों मे वृद्वि या नामान्तरण शुल्क आदि में वृद्वि प्रस्तावित की गई है, वह आवश्यक है, क्योंकि नगर निगम विकास कार्य सुचारू रूप से करा सकें इसके लिये इसका आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना जरूरी है।

मा0 विधायक श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया ने कहा कि पूर्व की सरकार ने सोसाइटी क्षेत्र के विकास के लिये रोक लगाई थी।

मा0 विधायक श्री इरफान सोलंकी ने कहा कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की जो योजना चल रही है, उसमें कई ऐसे मोहल्ले व क्षेत्र है जो इस योजना में नही लिये गये है, उसकी जॉच होनी चाहिये, न तो सीवर लाइन है, न तो पाइप लाइन है जो हैण्डपम्प खराब है यदि नियमानुसार हमारी निधि से रिबोर हो सकते है तो मैं अपनी विधायक निधि से धन देने के लिये तैयार हूँ।

श्री राजेन्द्र कटियार ने कहा कि ए–टू–जेड द्वारा जो मासिक शुल्क बढ़ाया जा रहा है इसकों लागू नही होने दिया जायेगा। जन सूचना के तहत नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जवाब नही दिया जा रहा है, इस सम्बन्ध में शख्त कार्यवाही होनी चाहिये। सुबह 07 बजे से 10 बजे तक नगर निगम का कौन सा कार्यालय है जिसमें शिकायत दर्ज कराई जाये । पार्षदों को अधिकारियों एवं कर्मचारियों से न मिलने के आदेश है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की मानिटरिंग कमेटी में जिलाधिकारी को न होकर नगर आयुक्त को होना चाहिये जिससे जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के कार्यो का पर्यवेक्षण अच्छे ढंग से हो सके। हमारे वार्ड में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये आदेश हुये थे, परन्तु आज तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नही की गई है।

श्री मनोज ने कहा कि रामादेवी चौराहे में कोई भी शौचालय नही है। नगर निगम द्वारा एक शौचालय बनवाया गया वह थाना परिसर के अन्दर है, जिससे आम नागरिकों को थाने के अन्दर जाने में असुविधा होती है, यदि उसका एक दरवाजा रोड की तरफ कर दिया जाये तो आम जनता को कुछ तो सुविधा मिलेगी। हमारे वार्ड में सीवर लाइन नही है, सफाई कर्मचारी कोई कार्य सुचारू रूप से नही करते है। 90 हैण्डपम्प टूटे पड़े है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पार्षद बीमार पड़ी है, उनका भी नगर निगम से इलाज कराया जाये। सभी वार्डो में कर्मचारी बैठाये जाये जो हाउस टैक्स की वसूली की जाती है वह कम्प्यूटर में दर्ज नही होती है, उसे दर्ज कराने की व्यवस्था की जाये।

श्री चेतन चौहान ने कहा कि मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या चट्टे और सीवर की है। जब तक चट्टों को शहर से बाहर नही किया जायेगा तब तक समस्या का हल नही होगा। जलकल विभाग में कर्मचारी कम है जिससे कार्य नही हो पा रहा है। प्रत्येक वार्ड में 05–05 कर्मचारी बढ़ाये जाये। नाले एवं नालियों में अतिक्रमण है, उनकों हटाया जाये एवं उनकी सफाई कराई जाये। जोन के जोनल स्वच्छता अधिकारी श्री गंगवार क्षेत्र में कार्य नही कराते है उनकों हटाया जाये।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु कहा ।

नगर आयुक्त ने कहा कि जहॉ पानी की व्यवस्था नही है, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की योजना में सम्पूर्ण क्षेत्र में सीवर/जल की व्यवस्था की जायेगी। सोसाइटी क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में सदन की तरफ से शासन को विकास के लिये पत्र भेजा जायेगा। सोसाइटी क्षेत्रों में हाउस टैक्स

इसलिये लिया जाता है कि सफाई, मार्गप्रकाश आदि की व्यवस्थायें कराई जाती रहें। जैसे–जैसे संसाधन बढ़ेंगे वैसे ही विकास कार्य कराये जायेंगे। 25–25 सी0एफ0एल0 देने के लिये कोशिश की जायेगी। द्वितीय चरण में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत छूटे हुये क्षेत्रों को लिया जायेगा। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत जो खुदाई हो रही है और यदि कहीं कोई कमी है तो उसकों दूर किया जायेगा । जनसूचना के तहत प्रश्नों का उत्तर समय से दिया जा रहा है और जो प्रश्न शेष है उनका भी उत्तर दिया जायेगा। अवैध अतिक्रमण को जोरो से हटाया जायेगा। कर्मचारियों को सही ढंग से कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा, कोई गलती है तो उसे दण्डित किया जायेगा। शौचालय के लिये व्यवस्था की जायेगी और हैण्डपम्प की व्यवस्था कराई जायेंगी, जो 100 हैण्डपम्प प्राप्त हुये है उसमें से प्रत्येक वार्ड में एक–एक हैण्डपम्प दिया जायेगा तथा एक–एक हैण्डपम्प रिबोर कराया जायेगा, जो संसाधन है और जो संसाधन बढ़ेंगे उसी के अनुसार व्यवस्था की जायेगी। हाउस टैक्स की रसीदें जो कम्प्यूटर में दर्ज नही है उन्हें दर्ज कराया जायेगा और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। चट्टा हटाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का स्थगनादेश है उसे खारिज कराने की पैरवी की जा रही है, खारिज होते ही चट्टों को शहर से बाहर करा दिया जायेगा। श्री गंगवार द्वारा जो कार्य नही कराये जा रहे है नगर स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं जॉच कर कार्यवाही करायेंगे।

..... **सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या–03 में नामान्तरण शुल्क में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत किया गया** :–

क्र. सं.	वार्षिक मूल्यांकन	वर्तमान निर्धारित नामान्तरण शुल्क	संशोधित एवं स्वीकृत नामान्तरण शुल्क
1.	रू0 1 से 2000 तक	रू0 200/=	रू0 200/=
2.	रू0 2001 से 5000 तक	रू0 300/=	रू0 600/=
3.	रू0 5001 से 10000 तक	रू0 400/=	रू0 1200/=
4.	रू0 10000 से अधिक	रू0 500/=	रू0 2000/=

शमन शुल्क एवं प्रकाशन शुल्क प्रस्ताव अनुसार यथावत् स्वीकृत किया गया।

अध्यक्ष ने भोजनावकाश के लिये सदन की कार्यवाही अपरान्ह 02:30 बजे तक के लिये स्थगित की।

.....

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को पी0पी0पी0 मॉडल के तहत चिकित्सालयों के संचालन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

<u>प्रस्ताव संख्या–04</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव सं0 04 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

. पत्र संख्या 315/न0स्वा0अधि0 (चि0)/12 दिनांक 24.09.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रेषित।

महानगर में नगर निगम द्वारा संचालित क्रमशः चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कोपरगंज, जे0ए0एम0चिकित्सालय, गोविन्द नगर एवं डा0 बी0एन0भल्ला चिकित्सालय, बाबूपुरवा का चिकित्सा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है। समय–समय पर चिकित्सकों के सेवानिवृत्त होने और शासनादेश सं0 5282/नौ–4–94–21जनरल/91 दिनांक 17जनवरी,1995के द्वारा चिकित्सीय सेवा संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप चिकित्सकों की नियुक्ति न हो पाने के कारण शनैः–शनैः चिकित्सकों की कमी होती गई। वर्तमान समय में चिकित्सकों की उपलब्धता न के बराबर होने के कारण उपरोक्त वर्णित चिकित्सालयों का सुचारू संचालन सम्भव नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रस्ताव है कि चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कोपरगंज, जे0ए0एम0चिकित्सालय, गोविन्द नगर एवं डा0 बी0एन0भल्ला चिकित्सालय, बाबूपुरवा को पूर्ण रूपेण संचालित कर क्षेत्रीय एवं आस–पास की जनता को लाभान्वित किये जाने के लिए इन तीनों चिकित्सालयों को पी0पी0पी0 माडल के आधार पर चलाये जाने के लिए सामाजिक संस्थाओं/एन0जी0ओ0 या इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाये और नगर निगम की शर्तो को पूरा करने वाली सामाजिक संस्थाओं/एन0जी0ओ0 या इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों को संचालन के लिए विधिक/समुचित अनुबन्ध कर सौंप दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि एकश फाउन्डेशन संस्था द्वारा चाचा नेहरू चिकित्सालय को अंगीकृत करने की सहमति प्रदान की गई है और उसी तरह प्रस्तावित दोनो चिकित्सालयों को भी पी.पी.पी. मॉडल से संचालित किया जाना है।

उप सभापति ने कहा कि इसी तरह नगर निगम के अन्य चिकित्सालयों को भी संचालित कराया जाये।

सभापति ने कहा कि पी.पी.पी. मॉडल के तहत जो संस्था इच्छुक हो उससे सम्पर्क स्थापित कराया जाये ताकि निर्धन व असहाय लोगो को रियायती दरों पर चिकित्सीय सुविधा मोहैया कराई जा सकें।

नगर आयुक्त ने पुनः स्पष्ट किया कि चूँकि शासन द्वारा नगर निगम चिकित्सा विभाग को मृत काडर घोषित कर डाक्टरों की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाते हुये पी.पी.पी. मॉडल को प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है। अतः नागरिकों को रियायती दरों में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम के समस्त 42 चिकित्सालयों एवं डिस्पेंसरियों को संचालित करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि पी0पी0पी0 मॉडल के तहत जिन चिकित्सालयों को दिया जाये पहले उनकी शर्तो की कापी सभी सदस्यों को दी जाये और उसकी जॉच कर ली जाये कि जिन संस्थाओं को चिकित्सालय संचालन के लिये दिये जा रहे है उनकी पूर्व में क्या स्थिति रही है।

नगर आयुक्त ने कहा कि जिन संस्थाओं को चिकित्सालय संचालन हेतु दिया जायेगा उनकी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त ही उनको चिकित्सालय संचालन हेतु दिये जायेंगे।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाय।

<u>प्रस्ताव संख्या–05</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 05 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/66/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 20.06.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना District-IV- Part-III हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की धनराशि रू0 20736.00 लाख के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय किस्त के रूप में निकायांश की धनराशि रूपया 1555.20 लाख की शासन द्वारा कानपुर नगर निगम को प्राप्त करायी गयी है। इसके पूर्व शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी प्रथम चरण, व द्वितीय चरण की केन्द्रांश व राज्यांश कुल धनराशि रूपया 7284.00 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम को प्राप्त करायी जा चुकी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की धनराशि के सापेक्ष रूपया 3636.17 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त उक्त निकायांश की धनराशि रू0 1555.20 लाख कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ.प्र. जल निगम, कानपुर को उपलब्ध कराया जाना है, की स्वीकृति योजना हित एवं कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 20.06.2012 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–06</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 06 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/65/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 20.06.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना पार्ट–2 (कान्सट्रक्शन आफ 210 एम.एल.डी. ट्रीटमेन्ट प्लान एट बिनगवाँ) हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की धनराशि रूपया 10100.45 लाख के परिप्रेक्ष्य में तृतीय किस्त के रूप में निकायांश की धनराशि रूपया 757.53 लाख की शासन द्वारा कानपुर नगर निगम को प्राप्त करायी गयी है। इसके पूर्व शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण की केन्द्रांश व राज्यांश कुल धनराशि रूपया 6312.75 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम को प्राप्त करायी जा चुकी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की धनराशि के सापेक्ष रूपया 3229.02 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। तृतीय किस्त के रूप में प्राप्त उक्त निकायांश की धनराशि रू0 757.53 लाख कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ.प्र. जल निगम, कानपुर को उपलब्ध कराया जाना है, की स्वीकृति योजना हित एवं कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 20.06.2012 को प्रदान की गयी है।

..... **पढ़ा गया।**

प्रस्ताव संख्या–07

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 07 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/48/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 22.05.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की पेयजल योजना पार्ट–II हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की धनराशि रूपया 37778.92 लाख के परिप्रेक्ष्य में चतुर्थ किस्त की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रूपया 4700.00 लाख की शासन द्वारा कानपुर नगर निगम को प्राप्त करायी गयी है। इसके पूर्व शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण की कुल धनराशि रूपया 28334.22 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम को प्राप्त करायी जा चुकी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की धनराशि के सापेक्ष रूपया 21208.78 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। चतुर्थ किस्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रू 4700.00 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को उपलब्ध कराया जाना है, की स्वीकृति योजना हित एवं कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.05.2012 को प्रदान की गयी है।

..... **पढ़ा गया।**

प्रस्ताव संख्या–08

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 08 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/49/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 22.05.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की पेयजल योजना (इनर ओल्ड एरिया) पार्ट–I हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की धनराशि रूपया 27094.89 लाख के परिप्रेक्ष्य में चतुर्थ किस्त की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रूपया 3250.00 लाख की शासन द्वारा कानपुर नगर निगम को प्राप्त करायी गयी है। इसके पूर्व शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण की कुल धनराशि रूपया 2032.16 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम को प्राप्त करायी जा चुकी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की धनराशि के सापेक्ष रूपया 17556.13 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। चतुर्थ किस्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रू 3250.00

लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को उपलब्ध कराया जाना है, की स्वीकृति योजना हित एवं कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.05.2012 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–09</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 09 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/80/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 18.06.2011 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना District-IV- Part-III योजना भारत सरकार द्वारा रूपया 207.36 करोड की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा अबतक केन्द्रांश, राज्यांश एवं निकाय अंश कुल रू0 50,00,00,000,00 की धनराशि निर्गत की गयी थी जिसके परिप्रेक्ष में कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को रू0 50,00,00,000.00 की धनराशि कम प्राप्त करायी गयी थी जिसे निदेशक, स्थानीय निकाय के पत्र दिनांक 04.04.2011 एवं लेखा विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त अवशेष धनराशि रू0 1,84,00,000.00 उपलब्ध कराये जाने हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा अनुरोध किया गया है। योजना एवं कार्यहित को दृष्टिगत करते हुए कार्य को द्रुतिगत से सम्पादित कराये जाने हेतु रू0 1,84,00,000.00 की धनराशि कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 18.06.2011 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–10</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 10 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/203/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 20.102011 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

कानपुर स्थित जाजमऊ में 36 एम0एल0डी0, सी0ई0टी0पी0 के सुचारू रूप से संचालन एवं रख–रखाव हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं जिलाधिकारी की बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में शोधन संयत्र के संचालन कार्य हेतु नगर निगम की अवशेष एवं भविष्य का अंशदान नियमित रूप से किये जाने की अपेक्षा की गयी है। परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम कानपुर के अनुरोध एवं

कार्यहित में उक्त सी0ई0टी0पी0 के रख–रखाव एवं संचालन हेतु रू0 25,00,000.00 की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 20.10.2011 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–11</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 11 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/214/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2012 दिनांक 02.11.2011 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज वर्कस योजना इन इनर ओल्ड एरिया पार्ट–I (स्वीकृत लागत– 190.88 करोड़) के सापेक्ष चतुर्थ किस्त की धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर द्वारा शासन से प्राप्त धनराशि रूपया 3,81,76,000.00 उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। योजनाहित व कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए नगर आयुक्त द्वारा कार्यदायी संस्था, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रूपया 3,81,76,000.00 अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 02.11.2011 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–12</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 12 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/215/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2012 दिनांक 02.11.2011 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना पार्ट–II (210एम.एल.डी. ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एट विनगवाँ.) स्वीकृत लागत– रू0 101.0045 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर द्वारा शासन से प्राप्त धनराशि रू0 2,02,01,000.00 उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना हित व कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए नगर आयुक्त द्वारा कार्यदायी संस्था, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रूपया 2,02,01,000.00 अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 02.11.2011 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–13

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 13 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 127/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 24.08.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कानपुर नगर की पेयजल योजना (इनर ओल्ड एरिया) फेज–1 की स्वीकृत परियोजना की लागत रूपया 27094.89 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किस्त की धनराशि रू0 1491.61 लाख शासन के पत्र संख्याः 1231(2)/नौ–5–55बजट/2006 टीसी, नगर विकास अनुभाग–5,दिनांक 07 अगस्त, 2012 के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं । उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त योजना हेतु शासन से प्राप्त कुल रूपया 23571.16 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है। चतुर्थ किस्त के सापेक्ष केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू. 136.86 व राज्यांश की धनराशि रू. 1354.75 कुल रू. 1491.61 लाख कार्यदायी संस्था द्वारा योजना व कार्यहित में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरान्त कार्यहित में व कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रू. 1491.61 लाख उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक.24.08.2012 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–14

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 14 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/128/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 24.08.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कानपुर नगर की पेयजल योजना (अवशेष भाग) फेज–1I की स्वीकृत परियोजना की लागत रूपया 37778.92 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किस्त की धनराशि रू0 1911.294 लाख शासन के पत्र संख्याः 2842(1)/नौ–5–55बजट/2006 टीसी नगर विकास अनुभाग–5,दिनांक 07 अगस्त, 2012 के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं । उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त योजना हेतु शासन से प्राप्त कुल रूपया 33034.22 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है। चतुर्थ किस्त के सापेक्ष केन्द्रांश की अवशेष धनराशि केन्द्राशं रू.–22.36 व राज्यांश की धनराशि रू. 1888.934 कुल रू. 1911.294 लाख कार्यदायी संस्था द्वारा योजना व कार्यहित में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरान्त कार्यहित में व कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रू. 1911.294 लाख उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.08.2012 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–15

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 15 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 126 / न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 24.08.2012के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कानपुर नगर की सीवरेज योजना (District IV & Part-III) की स्वीकृत परियोजना की लागत रूपया 20736.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि रू0 528.80 लाख शासन के पत्र संख्याः 2842(1)/नौ–5–2012–55बजट/2006 टीसी , नगर विकास अनुभाग–5,दिनांक 07 अगस्त, 2012 के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं । उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त योजना हेतु शासन से प्राप्त कुल रूपया 8839.20 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है। द्वितीय किस्त के सापेक्ष केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू.128.80 व राज्यांश की धनराशि रू. 400.00 कुल रू. 528.80 लाख, कार्यदायी संस्था द्वारा योजना व कार्यहित में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरान्त कार्यहित में व कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रू. 528.80 लाख उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक. 24.08.2012 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–16

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 20 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

कार्यालय पत्र सं0 डी/123/सम्पति/12 दिनांक 27.09.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत ।

विषय : पुरानी सब्जी मण्डी रंजीतपुरवा की 7622 वर्गमीटर भूमि में से 2500 वर्गमीटर भूमि थाना बादशाहीनाका के नये भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 पुलिस विभाग को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

डी0आई0जी0/एस0एस0पी0, कानपुर नगर द्वारा पत्र सं0 भ–179/98 दिनांक मार्च 02, 2009 के माध्यम से थाना बादशाहीनाका के नये भवन बनाने हेतु भूमि आवंटित कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था । इस प्रस्ताव में 8000 वर्गमीटर भूमि की मांग की गयी थी, जिसके उत्तर में तत्कालीन नगर आयुक्त के पत्रांक डी/179/सम्पत्ति/09–10 दिनांक 24.07.2009 द्वारा यह अवगत करा दिया गया था कि थाना बादशाहीनाका हेतु वांछित 8000 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

दिनांक 04.11.2009 को पत्र सं0 1500/एस0टी0/2009 के माध्यम से तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा उक्त निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया । तत्पश्चात् पत्रांक 179/96/डीआईजी दिनांक 05.11.2009 द्वारा तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर नगर ने पुनः सम्पूर्ण 8000 वर्गमीटर भूमि के अन्तर्गत 2500 वर्गमीटर भूमि थाने के नवीन भवन हेतु भूमि का अनुरोध किया गया । इसके उत्तर में पुनः तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति से ही अवगत करा दिया गया ।

दिनांक 19.06.2012 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 के समक्ष कानपुर महानगर के समग्र विकास हेतु प्रस्तुत की गयी विभिन्न परियोजनाओं में पुलिस विभाग के द्वारा पुनः बादशाहीनाका थाने की आवश्यकता को इंगित करते हुए वर्तमान थाना भवन अपर्याप्त एवं किराये की भूमि में होने के कारण तथा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण नगर निगम की उपरोक्त भूमि जो बादशाहीनाका सब्जीमण्डी के रूप में कही जाती है और वर्तमान में व्यापारियों द्वारा अतिक्रमित कर व्यवसाय किया जा रहा है , को रिक्त होने के बाद सम्पूर्ण भूखण्ड 8000 वर्गमीटर से 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर थाना भवन बनाये जाने हेतु भूखण्ड की मांग अपने पत्र सं0 एसटी/100/2012/डीआईजी/एसएसपी दिनांक 28.06.2012 द्वारा की गयी है । इस सम्बन्ध में दिनांक 28.06.2012 को मण्डलायुक्त, कानपुर की अध्यक्षता में भी तद्नुसार निर्णय लिया गया तथा दिनांक 11.07.2012 को मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (कार्यवृत्त संलग्न) में दिनांक 19.06.2012 को मा0 मुख्यमंत्री जी की आयोजित बैठक में कार्यवृत्त के क्रमांक 1.6 के आलोक में मुख्य सचिव द्वारा वांछित भूमि को सांकेतिक लीज रेन्ट पर देने का निर्णय लिया गया ।

उप महानिरीक्षक पुलिस, कानपुर नगर को नगर आयुक्त के पत्रांक 934/3/प दिनांक 11.07.2012 द्वारा अवगत करा दिया गया कि भूमि के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा । वर्तमान बादशाहीनाका में अतिक्रमित कर संचालित मण्डी का फोटोग्राफ कार्यकारिणी के अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है । इसी सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा द्वारा अपने पत्रांक सीओबी–2 /12 दिनांक 07.07.2012 में उल्लेख किया गया है कि थाना भवन निर्मित होने के बाद अवशेष भूमि पर मल्टीस्टोरी शॉपिंगमॉल बनाया जा सकेगा ।

उपरोक्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त यह स्थिति पायी गयी कि पुलिस विभाग भी नगर निगम की तरह सेवा का विभाग है , जो सामाजिक सुरक्षा/सुरक्षा हेतु अपरिहार्य है । नगर निगम में दैनिक कार्यों यथा–भूमि विवाद को निस्तारित करने , अनाधिकृत कब्जों को हटाने , यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने व विधि व्यवस्था सामान्य करने हेतु पुलिस प्रशासन का सक्रिय सहयोग वांछित होता है । चर्चा में यह भी पाया गया कि बादशाहीनाका का भवन अपर्याप्त एवं अस्वस्थ वातावरण में संचालित है , जिससे क्षेत्र की विधि व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस सक्रिय नहीं रह पाती है । कानपुर महानगर समग्र विकास की ओर अग्रसर है और विकसित नगर में आधुनिक थाना व साज–सज्जा सहित, का निर्माण आवश्यक है । घनी आबादी क्षेत्र में कोई अन्य स्थल उपलब्ध न होने के कारण पुलिस विभाग द्वारा उक्त भूमि की पहचान कर प्रस्ताव दिया गया है , जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त पाया गया ।

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 129 के अन्तर्गत नगर निगम की सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी अधिकार प्राप्त है, तथा उपधारा 4 व 5 में विभिन्न शर्तों का उल्लेख है । इन धाराओं में दी गयी व्यवस्थाओं में उल्लिखित प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित नहीं है , अपितु यह प्रस्ताव राज्याधीन सेवा विभाग के पक्ष में मुख्य सचिव , उ0प्र0 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सांकेतिक लीज रेन्ट पर दिये जाने से सम्बन्धित है ।

अभिलेखों के अनुसार दिनांक 02.09.2009 की बैठक में प्रस्ताव सं0 861 द्वारा इस भूमि के उपयोग पर विचार किया गया था और भूतल पर दुकाने , द्वितीय तल पर फ्लैट का निर्माण व छत का बारातशाला के रूप में प्रयोग का प्रस्ताव था , इसकी स्वीकृति नहीं हुयी , अतएव प्रस्ताव विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है ।

यह भी संज्ञान में लाया जाना है कि उपरोक्त स्थल का सर्किल रेट के 50 प्रतिशत मूल्य की दर 35,000.00 वर्गमीटर निर्धारित है, परन्तु मुख्य सचिव , उ0प्र0 द्वारा लिये गये उपरोक्त प्रस्तावित वांछित भूखण्ड को सांकेतिक लीज रेन्ट पर लिये जाने का प्रस्ताव है । 30–30 वर्ष की लीज कुल 90 वर्ष के लिये लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है ।

नगर निगम सदन के सकारात्मक निर्णय के उपरान्त निर्धारित लीज रेन्ट पर थाना बादशाहीनाका उ0प्र0 पुलिस विभाग को वांछित 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटित किये जाने हेतु शासन के नगर विकास विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा तद्नुसार लीज डीड सम्पादित की जायेगी।

श्री रमापति झुनझुनवाला ने कहा कि मा0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की गई है, जो अभी लम्बित है। जहॉ पर यह जमीन है, उसके नीचे से सीवर लाइन जा रही है। सब्जीमण्डी हटाने से बहुत से लोग बेरोजगार होंगे। उनकों हटाने से पहले उन्हें कही व्यवस्थित किया जाये, इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाये।

श्री राजेश कुमार सिंह ने कहा कि थाना बादशाहीनाका वही बना रहने दिया जाये। क्योंकि वहॉ पर थाना हेतु पर्याप्त जगह है।

अध्यक्ष ने अवगत कराया कि थाना बादशाहीनाका एक प्राइवेट जमीन पर स्थित है। उक्त जमीन के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय से भवन स्वामी के पक्ष में निर्णय हो गया है। इसलिये कानून व्यवस्था के हित में जमीन देना उचित होगा।

श्री आलोक शुक्ला ने कहा कि तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने अपनी आख्या दी है कि थाना निर्मित होने के बाद अवशेष जिस भाग पर अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाकर उस भूमि पर मल्टीस्टोरी शॉपिंग मॉल बनाया जायेगा।

नगर आयुक्त ने इस विषय पर स्पष्ट किया कि यह क्षेत्राधिकारी का मात्र सुझाव था।

..... प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत। फुटकर सब्जी विक्रताओं को व्यवस्थित करने पर भी विचार किया जाय।

<u>प्रस्ताव संख्या–17</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 31 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 369/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 12.01.2012के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर की पेयजल योजना पार्ट–II (शहर के अवशेष क्षेत्र) की स्वीकृत लागत रूपया 37778.92 लाख के सापेक्ष तृतीय किस्त के रूप में शासन द्वारा पत्र संख्याः 2788/नौ–9–2011–103 आरएफ/11 दिनांक 28 दिसम्बर,2011 को निकाय अंश रूपया 28,33,42,000.00 की धनराशि प्राप्त करायी गयी है। कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर द्वारा उक्त प्राप्त निकाय अंश रूपया 28,33,42,000.00 को उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना व कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा उक्त धनराशि रूपया 28,33,42,000.00 कार्यदायी संस्था, बैराज इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृत दिनांक 12.01.2012 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–18</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 32 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 166/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 19.09.2012के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना में कानपुर नगर की सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट की स्वीकृत परियोजना लागत रूपया 5623.79 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तृतीय किस्त के परिपेक्ष्य में स्वीकृत निकाय अंश की धनराशि रूपया 4,21,77,500.00 निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–5, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर द्वारा योजना कार्यहित में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना व कार्यहित में शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रूपया 4,21,77,500.00 कार्यदायी संस्था, निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–5, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर को भुगतान करने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 19.09.2012 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–19</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई,के प्रस्ताव सं0 33 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 401–ए/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 27.02.2012 द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कानपुर नगर की सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजना लागत रू0 5623.79 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी चर्तुथ किस्त के रूप में केन्द्रांश व राज्यांश की कुल धनराशि रूपया 9,84,14,000.00 कार्यदायी संस्था सी. एण्ड डी. एस. यूनिट–5, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को योजना व कार्यहित में अवमुक्त/ भुंगतान किये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 27.02.2012 को प्रदान की गयी है ।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–20

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 34 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 421/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 22.03.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कानपुर नगर की सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजना लागत रू0 5623.79 लाख के शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी चर्तुथ किस्त के रूप में निकायांश धनराशि रूपया 4,2178,200.00 व अवशेष धनराशि रू0 35,17,180.00 इस प्रकार कुल धनराशि 4,56,95,360.00 कार्यदायी संस्था सी. एण्ड डी. एस. यूनिट–5, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर को योजना व कार्यहित में अवमुक्त/भुगतान किये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.03.2012 को प्रदान की गयी है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–21

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 35जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 157/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2012–13 दिनांक 20.09.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना (कान्सट्रक्शन आफ 210 एम.एल.डी. ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एट बिनगवॉ) पार्ट–2 हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू. 14196.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः 1047/नौ–5–2011–60सा/11, दिनांक 31..03.2011 के अनुसार प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में स्थानीय निकाय

निदेशालय के पत्र दिनांक 24.08.2012 के अनुसार बढ़ी हुई लागत रू. 4095.55 लाख के सापेक्ष रू. 975.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। योजना व कार्यहित में महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर द्वारा अनुरोध पर नगर आयुक्त द्वारा रू. 9,75,00,000.00 (रू. नौ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) कार्यदायी संस्था, महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई उ.प्र. जल निगम, कानपुर को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दिनांक 20.09.2012.को प्रदान की गयी।

..... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–22</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 37 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

कार्यालय पत्र सं0 दिनांक को मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

. विषयः–**मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम हेतु श्री रत्नशुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज परिसर के बाहर रिक्त भूमि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में ।**

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय परिषदीय, शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानिया स्तर के मदरसों एवं राष्ट्रीय बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को मध्यावकाश में गर्म व पौष्टिक मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

राज्य सरकार द्वारा कानपुर जनपद में अक्षय पात्र एवं समकक्ष स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से नगर क्षेत्र में केन्द्रीय किचेन स्थापित कर गर्म एवं पौष्टिक भोजन विद्यालयों में वितरित कराने पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक/एम0डी0एम0/2676–82/2012–13 द्वारा नगर निगम से अक्षय पात्र फाउन्डेशन हेतु भूमि की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में अक्षयपात्र संस्था के पदाधिकारियों द्वारा नगर में नगर निगम गॉधी स्मारक इण्टर कालेज, गोविन्द नगर के पीछे की भूमि को उपयुक्त माना है, किन्तु गॉधी स्मारक इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध दो एकड़ भूमि को विद्यार्थियों के खेलकूद के लिये आरक्षित है और यह भूमि निर्धारित मानक से कम भी है इसलिये इस भूमि को अक्षयपात्र योजना को उपलब्ध कराने की संस्तुत नही की गई है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–6, श्री सुनील कुमार के अर्द्ध शा0 पत्र सं0 687(1)/79–6–2012 दिनांक– 26.07.2012 दिनांक द्वारा भी कानपुर नगर के गॉधी स्मारक इण्टर कालेज, गोविन्द नगर अथवा श्री रत्नशुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज परमपुरवा, जूही कानपुर में उपलब्ध 02–03 एकड़ भूमि का चिन्हांकन (आवागमन की सुविधायुक्त, प्रदूषण रहित वातावरण तथा विवाद रहित भूमि) कर प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानाचार्य, श्री रत्नशुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज, परमपुरवा जूही, कानपुर के पत्रांक मेमो/2012–13 दिनांक– 04.07.2012 द्वारा अवगत कराया गया कि अक्षयपात्र योजना हेतु नगर निगम प्रशासन चाहे तो विद्यालय परिसर के बाहर खाली पड़ी भूमि में से कुछ भूमि जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर को उपलब्ध करा दे तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

शासन द्वारा प्रस्तावित मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम स्वयं सेवी संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन अथवा अन्य समकक्ष स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु श्री रत्नशुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज परमपुरवा, जूही, कानपुर के परिसर के बाहर रिक्त भूमि 39,431.08 वर्ग मीटर में से न्यूनतम अपेक्षित भूमि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर को 30 वर्ष के लिये सांकेतिक लीज रेन्ट पर दिये जाने का प्रस्ताव है, जो बढ़ाया भी जा सकता है। किन्तु भूमि का स्वामित्व सदैव नगर निगम का रहेगा। जनहित मे इस कार्य के सम्पादन हेतु श्री रत्नशुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज जूही कानपुर की उक्त न्यूनतम् अपेक्षित भूमि शासन के निर्देशानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर को दिये जाने में आपत्ति नही प्रतीत होती है। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था हेतु उक्त भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जाता है तो लीज डीड स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। शिक्षा विभाग सरकारी विभाग है जिसे सांकेतिक लीज रेन्ट पर दिया जाना प्रस्तावित है, किन्तु लीज की शर्तो को निर्धारित एवं संशोधित करने का अधिकार सदैव नगर निगम में निहित होगा।

नगर निगम सदन के सकारात्मक निर्णय के उपरांत भी शासन के नगर विकास विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लीज डीड सम्पादित की जायेगी।

शासनादेश संख्या–1206/79–6–2012 दिनांक 8 नवम्बर,2012 एवं शासनादेश संख्या –405/पीएसबी/2012 दिनांक 09 नवम्बर, 2012, जो प्रमुख सचिव, शिक्षा द्वारा निर्गत किया गया है, के अनुसार यह भूमि अनुबन्ध के आधार पर स्वयंसेवी संस्था अक्षय पात्र फाउन्डेशन को दी जानी है। शासनादेश साथ में संलग्न है।

अध्यक्ष ने कहा कि मिड–डे–मील योजना जो चल रही है उसमें मात्र 05 प्रतिशत बच्चों को लाभ मिलता है परन्तु इस योजना से सभी बच्चों को लाभ होगा, भूमि नगर निगम की होगी, सिर्फ यूजर चार्ज लिया जायेगा।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–23</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 38 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 1100/2012–13/क दिनांक 17.10.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के अर्न्तगत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जोनल कार्यालय जोन–5 में कार्यरत श्री किशोर कुमार निगम, द्वितीय श्रेणी लिपिक को मुख कैंसर के आपरेशन हेतु धनांक 50,000.00 की चिकित्सा अग्रिम भुगतान की मॉग की है। इनकी हालत अत्यन्त गम्भीर होने के कारण धनांक 50,000.00 (रूपया पचास हजार) मात्र चिकित्सा अग्रिम

के रूप में भुगतान किये जाने हेतु कार्यकारिणी की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा0 महापौर/नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 17.10.12 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

अतः अधिनियम की धारा 132(3) के अर्न्तगत कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्ताव प्रेषित है।

..... **सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–24

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 39 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

विषय :– नरौना चौराहे पर स्थित गणेश चौक को गोद लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि परतंत्र भारत में कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी ने सन् 1913 में प्रताप अखबार की नींव डाली थी। जिसने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इस पत्र ने सारे भारत में आजादी का बिगुल फूंका था। वर्ष 2013 में इसके 100 वर्ष पूरे हो जायेंगे। प्रताप अखबार ने आजादी की लड़ायी में अपनी अग्रणी भूमिका निभायी थी। जिसे नगर निगम को भूलना नही चाहिये। इसलिये नगर निगम का यह नैतिक दायित्व बनता है कि प्रताप अखबार का शताब्दी वर्ष पूरे हर्षोल्लास से मनायें, यही प्रताप के योगदान को याद करने का सही वक्त है। कानपुर के महापौर होने के नाते इसकी पहल आपकों करनी चाहिये। प्रताप के शताब्दी वर्ष पर ऑल इण्डिया फ्रीलान्सर जर्नलिस्ट फेडरेशन नरौना चौराहा स्थित गणेश चौक को रख–रखाव व सुंदरीकरण के लिये पॉच वर्ष के लिये गोद लेना चाहती है।

अतः फेडरेशन की ओर से आपसे आग्रह है कि कृपया उक्त चौक को फेडरेशन को रख–रखाव हेतु देने के लिये मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर को आदेशित करें ताकि शताब्दी वर्ष पर उक्त चौक का सुंदरीकरण कराया जा सकें । इस संबंध में अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष ने कहा कि कानपुर शहर गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से जाना जाता है, गणेश उद्यान फूलबाग में स्थानीय विधायक ने गेट का निर्माण कराया है, गणेश शंकर विद्यार्थी की गरिमा अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिये। गणेश उद्यान फूलबाग में जो प्रतिमा लगी है उसका सुन्दरीकरण करा दिया जाये।

..... **सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–25

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 29.09.12 की स्थगित बैठक जो दिनांक 17.10.12 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 40 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः—

विषय :— <u>कानपुर के प्रताप अखबार का जन्मशताब्दी वर्ष मनाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि परतंत्र भारत में कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्याथ्री ने सन् 1913 में प्रताप अखबार की नींव डाली थी। जिसने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इस पत्र ने सारे भारत में आजादी का बिगुल फूंका था। वर्ष 2013 में इसके 100 वर्ष पूरे हो जायेंगे। प्रताप अखबार ने आजादी की लड़ायी में अपनी अग्रणी भूमिका निभायी थी। जिसे नगर निगम को भूलना नही चाहिये। इसलिये नगर निगम का यह नैतिक दायित्व बनता है कि प्रताप अखबार का शताब्दी वर्ष पूरे हर्षोल्लास से मनायें, यही प्रताप के योगदान को याद करने का सही वक्त है। कानपुर के महापौर होने के नाते इसकी पहल आपकों करनी चाहिये।

प्रताप के शताब्दी वर्ष पर नगर निगम, कानपुर को फीलखाना मार्ग का बिरहानारोड तक नाम **गणेश शंकर विद्यार्थी मार्ग,** गणेश उद्यान फूलबाग का सुंदरीकरण, गणेश चौक नरौना चौराहे को फेडरेशन को सौपने, प्रताप के संक्षिप्त इतिहास का प्रकाशन, प्रताप अखबार पर विशेष डाक टिकट जारी करने की प्रबल आवश्यकता है जिस पर केन्द्र व प्रदेश सरकार को तुरन्त पहल करनी चाहिये।

अतः फेडरेशन की ओर से आपसे आग्रह है कि कृपया प्रताप का संलग्न इतिहास का अवलोकन कर इस संबंध में अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। फेडरेशन इस संबंध में किसी भी तरह के सहयोग को तैयार है। कृपया कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करे।

<u>राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक</u>

ऑल इण्डिया फ्रीलांसर जर्नलिस्ट फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक केन्द्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 सर्वेश कुमार 'सुयश' के निर्देश पर दिनांक— 15 अक्टूबर, 2012 को फेडरेशन के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार श्री तिलक एडवोकेट की अध्यक्षता में सायं 06:00 बजे आहूत की गई। जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुये।

अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार के जन्म शताब्दी वर्ष पर विशेष डाकटिकट जारी करने का प्रस्ताव फेडरेशन द्वारा संचारमंत्री को भेजा जाये। ताकि डाक विभाग उस पर विशेष डाक टिकट जारी कर सके।

फेडरेशन नगर निगम, कानपुर से नरौना चौराहे पर बने गणेश चौक को रख—रखाव व सुंदरीकरण के लिये पॉच वर्षो के लिये गोद लेना चाहती है। जिसकी नगर निगम से महापौर के द्वारा अनुमति ली जायेगी। इस कार्यवाही को फेडरेशन की नगर इकाई पूर्ण करेगी।

फेडरेशन नगर निगम, कानपुर से फीखाना मार्ग कमलाटावर से बिरहाना रोड तक का नामकरण गणेश शंकर विद्यार्थी मार्ग करने की मांग करता है।

ह0...महापौर

फेडरेशन नगर निगम, कानपुर से गणेश उद्यान फूलबाग का संदरीकरण कराने की अपेक्षा के साथ नगर निगम द्वारा पूरे वर्ष प्रताप अखबार का शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित करने की मॉग करता है।

फेडरेशन नगर निगम, कानपुर से शताब्दी वर्ष पर उसके संक्षिप्त इतिहास के प्रकाशन के साथ ही नगर निगम के स्कूलों में विद्यार्थी जी पर संगोष्ठी आदि के आयोजन की मॉग करता है।

फेडरेशन महापौर जी से अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी जी के गरिमा के अनुरूप उपरोक्त प्रस्तावों पर सहृदयता से विचार कर समस्त प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर नगर निगम कार्यकारिणी में रखकर इनका अनुमोदन कर क्रियान्वयन करें। यही विद्यार्थी जी व उनके प्रताप अखबार के शताब्दी वर्ष पर कानपुर की जनता व पत्रकारों की ओर से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

..... अध्यक्ष ने कहा कि शताब्दी वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों में नगर निगम की सक्रिय भागीदारी होगी। जिसकी सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री अशोक तिवारी ने कहा कि राजीव वाटिका का भी सुन्दरीकरण करा दिया जाये।

श्री जरीना खातून ने कहा कि मेरे वार्ड में सफाई कर्मचारी कोई कार्य नही करते है और न ही मेरी बात सुनते है, जनता मेरे घर का घेराव करती है। मेरे वार्ड में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाये।

श्री विप्लव भट्टाचार्य ने कहा कि मेरे वार्ड में 1.50 लाख की आबादी है। सीवर सफाई के मात्र 02 कर्मचारी लगे है। मेरे वार्ड में सीवर सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाये।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त से इस विषय में आवश्यक व्यवस्था करने की अपेक्षा की। तत्पश्चात् गृहकर के प्रस्ताव पर अनेक सदस्य आपस में वाद–विवाद करने लगे, जिससे सदन में व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनने के पूर्व मा0 अध्यक्ष ने सदन को धन्यवाद् देते हुये कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की।

ह0.....

(जगतवीर सिंह द्रोण)

अध्यक्ष / महापौर